

10.11.17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. डेविट्स के द्वारा उपस्थित।  
डेविट्स के प्रार्थना पत्र पर सुन गया।  
पत्रावली वापस कर दिया दिनांक 13.11.17 को पेश  
है।

13/11/17

पत्रावली वापस कोदेश हेतु प्रस्तुत हुई। [समाप्त]  
के कारण कोष कोदेश निश्चय नहीं हो सका।  
अतः पत्रावली वापस कोदेश हेतु दिनांक  
21/11/17 को पेश है।

21/11/17

पत्रावली वापस कोदेश हेतु प्रस्तुत  
हुई। उक्त प्रकरण की बटिस पर मनन  
किया एवं पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। इस न्यायालय के  
समक्ष प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत  
इच्छा निवेधाना से सम्बन्धित  
है जिसमें अपीलकर्ता के पास  
आधिनस्थ न्यायालय के समक्ष  
उपाक्षित होकर अपना पक्ष  
प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद  
है एवं चुंटी देने पर इस  
न्यायालय के समक्ष उपाक्षित  
है। अतः प्रकरण आधिनस्थ  
न्यायालय को इस निर्देश के  
साथ परिप्रेषित किया जाता  
है कि वे प्रार्थना पत्र इच्छा



राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमती सरजू (वै.वि.502110)

तारीख हुक्म

950  
2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

निषेधाज्ञा पर उन्नयनों को सुनवाई  
का समुचित क्रम प्रदान कर एक  
माह की अवधि में सुनावणी  
पर निर्णय पारित करे। उन्नयनों  
को लाने का अधिकार पावत किता  
जाता है कि वे अधिनियम न्यायालय  
के समक्ष इस न्यायालय के फाइल  
की जर्नल के साथ दिनांक 30.11.17  
को उपलब्ध होकर अपना पक्ष  
प्रस्तुत करे। तदनुसार पञ्चावली  
में जब कोई कार्यवाही क्रोष नहीं  
होने से पञ्चावली फंसल शुमार  
होकर बाद तत्काल जारी होकर  
हो। फाइल सुनाया गया।



राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर